मांग संख्या 80

मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत राज्यांश में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस पर राशि रूपये 750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राष्ट्र ीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार कर गरीब रेखा के नीचे सभी परिवारों के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सदस्यों को पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राशि रूपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद कमांक 3

राष्ट्र ीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र में तालाब का निर्माण/संतुलित एवं समन्वित परिपूरक आहार हेतु राशि रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

मत्स्य महासंघ के स्थापना व्यय में राशि रूपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4515

मद कमांक 5

छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना के अंतर्गत हाईस्कूल भवन एवं सामुदायिक भवन के कार्यो को नवीन कार्य के रूप में शामिल किया गया है । इस कार्य के लिये रूपये 937.50 लाख का व्यय संभावित है जो कि विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

ग्राम विकास योजना के अंतर्गत् व्यावसायिक परिसर (अटल बाजार) निर्माण कार्य को नवीन कार्य के रूप में शामिल किया गया है । इस कार्य के लिये रूपये 555.00 लाख का व्यय संभावित है जो कि विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।